



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2083]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2013/भाद्र 15, 1935

No. 2083]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2013/BHADRA 15, 1935

मंत्रिमंडल सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 सितम्बर, 2013

का.आ. 2694(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 77 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत सरकार (कार्य-आबंटन) तीन सौ तीनवां संशोधन नियम, 2013 है ।
(2) ये तुरंत प्रवृत्त होंगे ।
2. भारत सरकार (कार्य-आबंटन) नियम, 1961 में, द्वितीय अनुसूची में,-
(क) “उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,-
(ii) “क. उपभोक्ता मामले विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 3 और प्रविष्टि 11 का लोप किया जाएगा ;
(ख) “वित्त मंत्रालय” शीर्षक के अधीन,-
(iii) “क. आर्थिक कार्य विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 23 (ख) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
“23(ग). अग्रिम संविदा और वायदा बाजार आयोग से संबंधित मामले ।”;
(iv) “क. आर्थिक कार्य विभाग” उप-शीर्षक के अधीन, प्रविष्टि 105 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-
“106. वायदा व्यापार का नियंत्रण: अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74)।”।

प्रणब मुखर्जी
राष्ट्रपति

[फा. सं. 1/22/2/2013-मंत्रि.]
संयुक्ता राय, निदेशक (मंत्रिमंडल)

CABINET SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th September, 2013

S.O.2694(E).— In exercise of the powers conferred by clause (3) of article 77 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, namely:—

1. (1) These rules may be called the Government of India (Allocation of Business) Three Hundred and Third Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force at once.

2. In the Government of India (Allocation of Business) Rules, 1961, in THE SECOND SCHEDULE,-

(a) under the heading "MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (UPBHOKTA MAMLE, KHADYA AUR SARVAJANIK VITARAN MANTRALAYA)",-

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS (UPBHOKTA MAMLE VIBHAG)", entry 3 and entry 11 shall be omitted;

(b) under the heading "MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)",-

(i) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", after entry 23 (b), the following entry shall be inserted, namely:-

"23 (c). Matters relating to Forward Contracts and Forward Markets Commission.";

(ii) under the sub-heading "A. DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS (ARTHIK KARYA VIBHAG)", after entry 105, the following entry shall be inserted, namely:-

"106. Control of Future Trading: The Forward Contracts (Regulation) Act, 1952 (74 of 1952)."

PRANAB MUKHERJEE

President

[F. No. 1/22/2/2013-Cab.]

SANJUKTA RAY, Director (Cabinet)